

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

इसराईल वनाम जुवेर वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

वाद पत्र - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद पत्र संख्या 370 वर्ष 2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

23

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपरिथत है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी वारते तलवी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 17-10-2023 को पेश हो।

17-10-23

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संजय कर्तव्य स्वगत किया है। अतः पत्रावली दिनांक 06/11/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

06/11/23

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संजय कर्तव्य स्वगत किया है। अतः पत्रावली दिनांक 05/11/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

05/11/23

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संजय कर्तव्य स्वगत किया है। अतः पत्रावली दिनांक 18/3/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

18/3/23

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संजय कर्तव्य स्वगत किया है। अतः पत्रावली दिनांक 10/6/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

10.06.2023

आज पत्रावली पेश हुई। श्रवण लगाने पर, वादी/वारी यात्री अनुपस्थित। अतः वारी रा वाद अहम होजरी। पत्रावली में खासियत दिनांक 10/6/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

